न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -94/2023

अनवान

1. महेन्द्र सिंह पिता श्री मांगी लाल जी उर्फ मांगु सिंह, जाति राजपूत, उम्र 32 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी रेनखेड़ा, कुण्डाल, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. शैतान सिंह पिता श्री मांगी लाल जी उर्फ मांगु सिंह, जाति राजपूत, पेशा काश्त, निवासी रेनखेड़ा, कुण्डाल, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. निरभय सिंह पिता नाहर सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. अभिजीत सिंह पिता नाहर सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. महोदव जी स्थान देह भगवतपुरा जरिये दलपत सिंह पिता शम्भु सिंह यादव, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी सुभाष नगर बड़ोदिया कुण्डाल, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. मान सिंह पिता शम्भु सिंह यादव, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी सुभाष नगर, बड़ोदिया, कुण्डाल तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. हरी सिंह पिता शम्भु सिंह यादव, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी सुभाष नगर, बड़ोदिया, कुण्डाल तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. जसवंत सिंह पिता शम्भु सिंह यादव, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी सुभाष नगर, बड़ोदिया, कुण्डाल तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 व 2 एकतरफा कार्यवाही व
अप्रार्थी 3 से 6 श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव

निर्णय दिनांक 06.11.2024

प्रार्थीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 रा0टि0एक्ट का पेश किया है, मजबूत आधारों पर होने से निश्चय ही प्रार्थीगण के हक में निर्णित होगा परन्तु मूल वाद के निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है, इसलिए यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम भगवतपुरा प0ह0 बड़ोदिया तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं. 102/53 एवं 103/53 स्थित है इन ही आराजीयात की दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 64 व 63 स्थित है, जिनमें से होकर खसरा संख्या 62 में गैर मुमकिन रास्ता गुजरता है जो राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया हुआ है यह रास्ता कदीमी रास्ता होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट सम्वत् 2000 में भी रिकॉर्डेड है यानी मेवाड़ सेटलमेन्ट से पूर्व भी यह रास्ता कायम था, जिसे दौराने मेवाड़ सेटलमेन्ट दर्ज किया गया है जो नक्शे में नीले रंग का होकर ए से बी स्थान पर दर्शाया गया है, यह रास्ता [illegible] खसरा नं. 64, 63 व 62 में दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण सेटलमेन्ट में दर्शाये [illegible] रास्ते [illegible] नहीं गुजर कर वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 102/53 और खसरा नं. 103/53 [illegible] होकर जबरदस्ती गुजरना चाहते है और नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसे नक्शे में [illegible] रंग से सी से डी स्थान पर दर्शाया गया है, जो खसरा नं. 102/53 व 103/53 से गुजर रहा है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार वादीगण की जमीन से नहीं गुजरने बाबत् कहा तो उन्होंने कहा कि पटवारी से नपवालों और पत्थरगढ़ी करवा लो जहां भी रास्ता होगा पटवारी साहब रास्ता बता देंगे और हम वहीं से गुजरने लगेंगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण के आग्रह पर न्यायालय से पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त किया और पटवारी साहब को लेकर मौके पर पहुंचा तो पटवारी साहब ने दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

05/11/2019 को मौके पर पहुंच कर खसरा नं. 53 जो उस वक्त मांगी लाल उर्फ मांगु सिंह के खातेदारी में थी, खसरा नं. 53 रकबा 8.21 हैक्टेयर की नप्ती करवाई और मौके पर पत्थरगढ़ी करवा निशान लगाये गये। उसके बाद वादीगण ने पत्थर के ठुण्ठले गाड़ कर तारबन्दी करने की कोशिश की तो प्रतिवादीगण ने ट्रेक्टर से ठुण्ठलों को गिरा दिया और सीमा चिन्ह मिटाने की कोशिश की वादीगण के मना करने पर लड़ाई-झगड़ा करने पर उतारू हुए और पटवारी साहब द्वारा बताये गये रास्ते से गुजरने से मना कर दिया और वादीगण की खातेदारी भूमि से ही गुजरने की कोशिश करने लगे। सी से डी स्थान पर रास्ता दिखाया गया है, वह रास्ता वास्तविक सीमा से करीब 10 मीटर अंदर की तरफ बनाना चाह रहे है, उसके पीछे प्रतिवादीगण की मंशा वादीगण की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की है। अन्त में प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है, मौके पर खसरा नं. 102/53 व 103/53 में नक्शे में कोई रास्ता नहीं है, प्रतिवादीगण अवैध रूप से रास्ता कायम करना चाहते है, जिन्हें आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना और नक्शें में दिखाये स्थान ए से बी रास्ता जो नीले रंग से दिखाया गया है और खसरा नं. 64,63 व 62 में स्थित है से गुजर ने की आदेशात्मक निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 2 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। विपक्षी संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव मय वकालतनामा प्रस्तुत प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय द्वारा जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम भगवतपुरा प0ह0 बड़ोदिया तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं. 102/53 एवं 103/53 स्थित है इन ही आराजीयात की दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 64 व 63 स्थित है, जिनमें से होकर खसरा संख्या 62 में गैर मुमकिन रास्ता गुजरता है जो राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया हुआ है यह रास्ता कदीमी रास्ता होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट सम्वत् 2000 में भी रिकॉर्डेड है यानी मेवाड़ सेटलमेन्ट से पूर्व भी यह रास्ता कायम था, जिसे दौराने मेवाड़ सेटलमेन्ट दर्ज किया गया है जो नक्शे में नीले रंग का होकर ए से बी स्थान पर दर्शाया गया है, यह रास्ता नवीन सेटलमेन्ट में खसरा नं. 64, 63 व 62 में दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण सेटलमेन्ट में दर्शाये गये रास्ते से नहीं गुजर कर वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 102/53 और खसरा नं. 103/53 से होकर जबरदस्ती गुजरना चाहते है और नया रास्ता कायम करना चाहते है। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि हमारी आराजीयात पर कभी भी रास्ता नही था, और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता चालू है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा भूलवश व त्रृटिवश रास्ता हमारी जमीन में राजस्व में दर्ज किया गया है जो नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमीन ग्राम भगवतपुरा प0ह0 बड़ोदिया तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं. 102/53 एवं 103/53 स्थित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी [illegible] साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण [illegible]क है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल, मदाखलत न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:20 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)